कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 5923/2021 रेखा मालवी बनाम सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 01.12.2021 की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/को.के/रेखा मालवी/5923/2021/09 दिनांक 21.01.2022 द्वारा नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन राउमावि गांवडापाल सलूम्बर उदयपुर से महाराणा प्रताप राउमावि. खमनोर राजसमन्द किया गया।

उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध पुनः माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 382/2022 रेखा मालवीं बनाम सरकार में माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2022. द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 21.01.2022 का कियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित कर यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर स्थानांतरण किया जाता है तो यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.05.2022 से आगामी आदेश तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाये जाने की स्थिति में एवं माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में तथा प्रशासनिक अत्यावश्यकता, छात्रहित को देखते हुए रेखा मालवी व्याख्याता हिन्दी का पदस्थापन राउमावि गांवडापाल सलूम्बर उदयपुर से महाराणा प्रताप राउमावि. खमनोर राजसमन्द (222852) किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का तत्काल प्रभाव से शाला दर्पण के माध्यम से सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

अपीलार्थी को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता देय होगा।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/को.के/रेखा मालवी/5923/2021/ दिनांकः– 28/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.............................।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
7. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर/जोधपुर..................................।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
11. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर